

प्रभावित आरक्षित वन भूमि के N.P.V. मूल्य की गणना

जनपद-मीरजापुर में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित 132 के.वी. मिर्जापूर-जिगना द्वितीय लीलों परिपथ के निर्माण से प्रभावित ग्राम-राजापुर, तहसील-लालगंज के आराजी संख्या 1मी० में से क्षेत्रफल 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि का एन०पी०वी० मूल्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक F-NO.05.02.2009 द्वारा इको क्लास-(III) खुले क वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन०पी०वी० रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से रु० 6.26 लाख X 0.2322 हे० = रु० 145357.00 (एक लाख पैतालिस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) का भुगतान प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृती के उपरान्त याचक विभाग द्वारा कैम्पा को देय होगा एवं यदि एन०पी०वी० की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो उक्त बढ़ी हुई धनराशि को अदा करने हेतु उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड मीरजापुर बाध्य होगा।



अधिशाली अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया, मीरजापुर

प्रभागीय वनधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग,
मीरजापुर,